भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली –110 001.

सं: ई.सी.आई./प्रेस नोट/60/2015 दिनांकः 21 अक्तूबर, 2015

प्रेस नोट

विषयः मध्य प्रदेश, झारखण्ड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और तेलंगाना की लोक सभा में एवं राज्य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप–निर्वाचन की अनुसूची – तत्संबंधी ।

लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में निम्नलिखित स्पष्ट रिक्तियां हैं जिन्हें भरा जाना आवश्यक हैः

लोक सभा में रिक्तियां

कम सं.	राज्य	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
1.	मध्य प्रदेश	24–रतलाम (अ.ज.जा.)
2.	तेलंगाना	15–वारांगल (अ.जा.)

विधान सभाओं में रिक्तियां

कम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
1.	झारखण्ड	72–लोहरदगा (अ.ज.जा.)
2.	मध्य प्रदेश	171–देवास
3.	मणिपुर	9–थांगमेईबांग
4.	मणिपुर	5–थोंगजू
5.	मिजोरम	12–उत्तरी एजवाल–III (अ.ज.जा.)
6.	मेघालय	32–नोंगस्टोइन (अ.ज.जा.)

आयोग ने निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार इन रिक्तियों को भरने के लिए उप–निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया हैः–

1.	गजट अधिसूचना जारी करना	28.10.2015 (बुधवार)
2.	नामांकन भरने की अंतिम तारीख	04.11.2015(बुधवार)
3.	नामांकनों की संवीक्षा	05.11.2015 (गुरूवार)
4.	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	07.11.2015 (शनिवार)
5.	मतदान की तारीख	21.11.2015 (शनिवार)
6.	मतगणना की तारीख	24.11.2015 (मंगलवार)
7.	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	26.11.2015 (गुरूवार)

निर्वाचक नामावली

ऊपर उल्लिखित राज्यों की निर्वाचक नामावलियां जिनमें संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं, को 01.01.2015 के संदर्भ में अर्हक तारीख के रूप में संशोधित कर लिया गया है और झारखण्ड, मिजोरम और तेलंगााना को छोड़कर दिनांक 05.10.2015 को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है । झारखण्ड में 19.03.2015 को तेलंगाना में 17.01.2015 को तथा मिजोरम में 15.01.2015 को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है ।

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.)

आयोग ने उप–निर्वाचन में सभी मतदान केंद्रों में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें प्रयोग करने का निर्णय लिया है । इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करवा दी गई हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन मशीनों की मदद से मतदान निर्विध्न रूप से संचालित किए जाएं, सभी उपाय कर लिए गए हैं ।

मतदाताओं की पहचान

आयोग ने यह निर्णय लिया है कि मतदान के समय उपरोल्लिखित उप–निर्वाचनों में मतदाता की पहचान आवश्यक होगी । मतदाता की पहचान के लिए फोटो पहचान पत्र (एपिक) मुख्य दस्तावेज होगा । तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाचक नामावली में किसी का भी नाम विद्यमान होने पर कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो सके, इसके लिए उपरोक्त उप–निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति प्रदान किए जाने के लिए अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे ।

आदर्श आचार संहिता

आयोग के दिनांक 26 अप्रैल, 2012 के अनुदेश सं. 437/अनु./2012/सी.सी. एवं बीई (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) द्वारा जारी, आंशिक संशोधनों के अध्यधीन, आदर्श आचार संहिता उस/उन जिले/जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी जहां पूरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र या उसके कुछ अंश में उप–निर्वाचन होना है । आदर्श आचार संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी । आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के उपर्युक्त जिले/जिलों के लिए संघ सरकार पर भी लागू होगी ।

(सुमित मुखर्जी)
सचिव